राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल विविध (रिट) स्थगन आवेदन संख्या 6034/2024
एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5559/2022 में

मंजू पत्नी महिपाल विश्नोई, उम्र-29 वर्ष, जाति विश्नोई, निवासी ग्राम पंचायत समाराऊ, राजस्व गांव, हरि नगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (समेकित बाल विकास सेवा), जोधपुर।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवा, ओसियां, जोधपुर।
5. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत समराऊ, पंचायत समिति ओसियां, जोधपुर।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत समराऊ, पंचायत समिति ओसियां, जोधपुर।
7. सरिया पत्नी मांगी लाल, पुत्री बरसिंगा राम, आयु लगभग 24 वर्ष, श्रेणी ओबीसी, ईशवालों की ढाणियां, ईश्वर नगर, समराऊ, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री सुकेश भाटी

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री अक्षय सिंह राजपुरोहित

डॉ. प्रवीण खंडेलवाल के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

15/04/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 24.02.2022 (अनुलग्नक 11) के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.01.2022 की बैठक के मिनट्स में प्रतिवादी संख्या 7 को याचिकाकर्ता के स्थान पर आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, वह प्रतिवादियों को विज्ञापन दिनांक 14.07.2021 (अनुलग्नक 1) के अनुसार राजस्व गांव हरि नगर, समराऊ, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र/केंद्र संख्या 4 में आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के निर्देश चाहती है।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य ये हैं:-

2.1 आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 14.07.2021 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन में विशेष रूप से प्रावधान किया गया था कि आवेदक राजस्व गांव का वास्तविक निवासी होना चाहिए, जहां आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है, जिसके लिए पद विज्ञापित किया गया था।

2.2 याचिकाकर्ता, पात्र होने और अपेक्षित योग्यता रखने के साथ-साथ राजस्व गांव हरि नगर, जहां आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 4 स्थित है, का वास्तविक निवासी होने के नाते, विज्ञापित पद के लिए 02.08.2021 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

2.3 हालांकि, बिना दिमाग लगाए और दस्तावेजों की ठीक से जांच किए बिना, प्रतिवादी संख्या 7-सरिता को विज्ञापित पद के लिए नियुक्ति के लिए हकदार माना गया।

2.4 नियुक्ति आदेश दिनांक 24.02.2022 पारित कर सरिता को आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 4 में आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 राजस्व गांव हरि नगर की वास्तविक निवासी नहीं है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 4 स्थित है। याचिकाकर्ता ने प्रासंगिक प्रमाण एकत्र करने के बाद प्रतिवादी संख्या 7 के स्थान पर उसे नियुक्ति देने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष 07.03.2022 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उसने प्रतिवादी अधिकारियों को न्याय की मांग के लिए दिनांक 09.03.2022 को एक नोटिस भी दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

2.5 प्रतिवादी संख्या 7 ने वास्तव में अपनी नियुक्ति से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उसका इस्तीफा 21.08.2023 को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता स्वतः ही आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्ति के लिए

योग्य/हकदार उम्मीदवार बन गई, क्योंकि उसका नाम प्रतिवादी संख्या 7 के नाम के बाद मेरिट सूची में क्रमांक 2 पर है।

2.6. इसके बजाय, प्रतिवादी-राज्य अधिकारियों ने अब 13.03.2024 को एक और नियुक्ति नोटिस प्रकाशित किया है, जिसके तहत उक्त पद पर नियुक्ति के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए याचिकाकर्ता नियुक्ति का दावा कर रही थी/कर रही है। इसलिए, यह रिट याचिका।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

5. तथ्यों के उपर्युक्त विवरण से यह बात उभर कर सामने आती है कि मेरिट सूची के अनुसार, क्रमांक 1 पद पर कार्यरत अभ्यर्थी ने अपनी इच्छा से उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने का विकल्प चुना, जैसा कि उसके दिनांक 17.08.2023 के त्यागपत्र में परिलक्षित होता है, जिसके बाद दिनांक 21.08.2023 के प्रशासनिक आदेश (अनुलग्नक 14) के अनुसार उक्त त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया।

6. इस आधार पर, रिट याचिका को प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए स्वीकार किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता, जो मेरिट सूची में क्रमांक 2 पर है/थी, अपने प्रदर्शन के अनुसार अन्यथा उपयुक्त और योग्य है, तो उसे इसका लाभ दिया जाए। इसके अधीन, याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के लिए उचित आदेश जारी किए जाएं।

7. याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल आदेश की वेब प्रिंट के साथ उनसे संपर्क करने के 30 दिनों के भीतर उचित कदम उठाकर आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

8. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।